हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अप्रैल, 2013

संख्या का0 आ0 47/ह0 अ0 6/2003/धा0 59/2013.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 3/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2013, दिनांक 11 अप्रैल, 2013 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क, ख और ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में,–

(i) अनुसूची क में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

1	2	3
"9	बीड़ी तथा हुक्के में प्रयुक्त होने वाले कतरे हुए तम्बाकू को छोड़कर तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद	20%";

(ii) अनुसूची ख में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 55 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

1	2
"55	हुक्के में प्रयुक्त होने वाला कतरा हुआ तम्बाकू";

(iii) अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से रखी जाएगी, अर्थात् :–

1	2
"10क	बीडी"।

राजन गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।